

अवैध शस्त्र रखकर चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार - थाना निवाडी

पुलिस ने दिनांक 21.11.2020 समय 23.50 बजे कस्बा पतला मे अभियुक्त विकास पुत्र स्व0 महिपाल नि0 कस्बा पतला थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को मय एक आला नकब व एक अदद चाकू नाजायज के गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-332/2020 धारा 457/380 भा0द0वि0 व मु0अ0स0 333/2020धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कराया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा अवैध शस्त्र रखकर चोरी जैसे अपराध कारित करना नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- विकास पुत्र स्व0 महिपाल नि0 कस्बा पतला थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद वांछित अभियुक्तगण-

- 1.अंकित पुत्र धीरसिंह नि0 कस्बा पतला थाना निवाडी गाजियाबाद
- 2.पवन पुत्र मलखान सिंह नि0 कस्बा पतला थाना निवाडी गाजियाबाद
- 3.चीनू पुत्र मलखान सिंह नि0 कस्बा पतला थाना निवाडी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

- 1-एक चाकू नाजायज
- 2- एक आला नकब

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1-मु0अ0सं0-332/2020 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना निवाडी गाजियाबाद
- 2-333/2020धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना निवाडी गाजियाबाद



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की

21 अदद बैटरी (कार/ई-रिक्शा) विभिन्न कम्पनी की बरामद।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 22.11.2020 को नाग गेट के पास चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अर्थला मैट्रो स्टेशन के पास जंगल से दो अभियुक्त 01- वकील पुत्र इकबाल नि0 1354 अजन्ता डेयरी के पास हज हाउस कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद व 02- नईम पुत्र अब्दुल रशीद नि0 मुजाहिद का किराये का मकान मैन बाजार कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद मूल निवासी रसीदनगर थाना ब्रह्मपुरी मेरठ को चोरी की 21 अदद बैटरी (कार/ई-रिक्शा) विभिन्न कम्पनी के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त आकिल पुत्र इकबाल नि0 1354 अजन्ता डेयरी के पास हज हाउस कालोनी अर्थला थाना सा0बाद गाजियाबाद मौके से फरार हो गया। बरामदशुदा बैटरी चोरी की है जिनके सम्बन्ध में थाना सा0बाद थाना कोतवाली नगर, थाना कौशाम्बी आदि में बैटरी के चोर के अभियोग पंजीकृत है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि हम तीनों ने मिलकर यह बैटरी करहेडा से दिनांक 30.08.2020 को शालीमार गार्डन से 17.10.2020 को दिनांक 28.10.2020 को वृदावन गार्डन से 04.06.2020 को राजेन्द्रनगर से दिनांक 24.10.2020 की रात्रि में मरकज मस्जिद कैला भट्टा से व 3.9.2020 को मैक्स अस्पताल वैशाली से बैटरी चोरी की आज हम यह बैटरियों को बेचने जा रहे थे

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. वकील पुत्र इकबाल नि0 1354 अजन्ता डेयरी के पास हज हाउस कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
2. नईम पुत्र अब्दुल रशीद नि0 मुजाहिद का किराये का मकान मैन बाजार कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद मूल निवासी रसीदनगर थाना ब्रह्मपुरी मेरठ

नाम पता फरार अभियुक्त-

आकिल पुत्र इकबाल नि0 1354 अजन्ता डेयरी के पास हज हाउस कालोनी अर्थला थाना सा0बाद गाजियाबाद (वांछित)

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 1382/2020 धारा 414,411 आईपीसी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 939/2020 धारा 379 आईपीसी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 1234/2020 धारा 379 आईपीसी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 4- मु0अ0सं0 1389/2020 धारा 379 आईपीसी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 5- मु0अ0सं0 1389/2020 धारा 379 आईपीसी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 6- मु0अ0सं0 1143/2020 धारा 379 आईपीसी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 7- मु0अ0सं0 463/2020 धारा 379 आईपीसी थाना कौशाम्बी गाजियाबाद।
- 8- मु0अ0सं0 714/2020 धारा 379 आईपीसी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. 08 अदद बैटरी एमरोन कम्पनी की
2. 04 अदद बैटरी एक्सार्ड कम्पनी की
3. 01 बैटरी टाटा ग्रीन कम्पनी की
4. 01 बैटरी एसएफ सोनिक टरबो कम्पनी की
5. 01 बैटरी डायनेक्स कम्पनी

6. 01 बैटरी वोल्टास कम्पनी की
7. 01 बैटरी स्पारकड कम्पनी की
8. 01 बैटरी जीटेक्स कम्पनी की
9. 01 बैटरी इस्टमेन कम्पनी की
10. 02 बैटरी लीटैक्स कम्पनी



थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार , कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद

थाना टीला मोड पुलिस द्वारा 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज ले जाते एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

दिनांक 21.11.20 थाना हाजा पुलिस अभियान अवैध कच्ची शराब से ग्राम जावली से रिस्तल की तरफ नाले के पास एक व्यक्ति 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज ले जाते दिखायी दिया जिसे रोका व टोका तो पुलिस को देखकर सकपकाया और पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया जिसे एक बारगी दविश देकर समय 19.15 बजे पकड लिया। जिसके कब्जे से एक जरीकैन 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद करने में सफलता प्राप्त की। जिसके सम्बंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 473/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम विजयपाल पंजीकृत किया गया।

। नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. विजयपाल पुत्र रामकरन नि0 ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 473/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम विजयपाल

02 नफर अभियुक्तगणों को चोरी गये ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार- थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा

दिनांक 22.11.2020 समय 01.20 बजे रात्रि में घटनास्थल प्रेम विहार क्रब्रिस्तान वाली गली के पास थाना खोडा क्षेत्र से 02 नफर अभि0 को चोरी के एक अदद ई रिक्शा व दो बैटरे सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. सद्दाम हुसैन S/O अली हुसैन निवासी म0न0 310 0 ब्लाक सुन्दर नगरी दिल्ली एवं मूल पता नूरनगर नियर चांद मस्जिद बहेडी थाना बहेडी जिला बरेली सम्बन्धित मु0अ0सं0 656/2020 धारा 379/411 भादवि

2. फरमान पुत्र शमीम R/O थावर वाली मस्जिद के पास मीरापुर थाना मीरापुर जिला मु0नगर हाल पता राजू का घर निकट भारत सिटी टीला मोड सम्बन्धित मु0अ0सं0 656/2020 धारा 379/411 भादवि

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो एनसीआर व दिल्ली क्षेत्र में घूम फिरकर वाहनों की चोरी को अंजाम देते हैं।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त के कब्जे से चोरी का एक अदद ई-रिक्शा व दो बैटरे बरामद होना



थाना लोनी पुलिस द्वारा एक वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार- थाना लोनी पुलिस द्वारा एक वाहन चोर अभियुक्त मयंक पुत्र दीपक नि0 बुद्ध बाजार गली न0 5 गीताजंली विहार लोनी गा0बाद को मय एक चोरी की मोटर साईकिल नं0 **DL 5SAX 9600** चैसिस नं0 **MD634KE43G2F53874** इंजन नं0 **OE4FG2998548** के महल कालोनी के पास से दिनांक 22.11.20 को समय करीब 08.00 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0-

अभियुक्त मयंक पुत्र दीपक नि0 बुद्ध बाजार गली न0 5 गीताजंली विहार लोनी गा0बाद उम्र 18 वर्ष।

आपराधिक विवरण:-

मु0अ0सं0 1007/20 धारा 379 /411 भादवि थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण 1. मो0सा0 अपाचे नं0 **DL 5SAX 9600** चैसिस नं0 **MD634KE43G2F53874** तथा इंजन नं0 **OE4FG2998548** चोरी की



चैकिंग अभियान के दौरान 01 नफर गैगस्टर अभि० गिरफ्तार- थाना सिहानी गेट

पुलिस द्वारा दि० 22.11.20 को समय 10.05 बजे 1 नफर अभि० शाहबाज पुत्र यामीन नि०- हिण्डन विहार सुल्तान चौक गली न० 03 म.न० 854 थाना सिहानी गेट गा०बाद मूल पता -छोटा मवाना थाना मवाना व जिला मेरठ को म.न० 854 गली न० 03 हिण्डन विहार सुल्तान चौक से गिरफ्तार किया गया । **पूछताछ का विवरण-** दिनांक 22.11.20 को चैकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई अभि० शाहबाज पुत्र यामीन उपरोक्त अपने घर पर ही मौजूद है । तभी उ०नि० श्री रामकुमार कुंतल मय हमराही गण द्वारा अभियुक्त के घर पर दबिश देकर 10.05 बजे उसको पकड लिया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

शाहबाज पुत्र यामीन नि०- हिण्डन विहार सुल्तान चौक गली न० 03 म.न० 854 थाना सिहानी गेट गा०बाद मूल पता -छोटा मवाना थाना मवाना व जिला मेरठ

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०स० 1518/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कविनगर गा०बाद



विगत 25 वर्ष से वांछित लुटेरे / 25-25 हजार रूपये के ईनामिया

02 अभियुक्त गिरफ्तार--थाना साहिबाबाद द्वारा मु0अ0सं0 449/1992 धारा 394,412,307

भादवि में सजायाफ्ता अभियुक्तगण जो विगत 25 वर्षों से लापता चल रहे थे तथा जिनके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एनबीडब्लू निर्गत किये गये थे को आज दिनांक 22.11.2020 को चैकिंग के दौरान अवैध शस्त्रों के साथ करनगोट के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. असगर पुत्र रूकमुददीन नि0 मोहल्ला तकिया पसोण्डा थाना टीला मोड गाजियाबाद
2. इस्लाम पुत्र हाफिज नि0 ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत
- 3.

अपराध का विवरण :-

अभियुक्तगणों द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर डा0 पी0आर0 भटनागर की पत्नी श्रीमती निर्मला भटनागर का दिनांक 13.07.1992 को समय करीव 19.30 बजे मुह दबाकर चाकू दिखाकर डरा धमका कर वी0सी0आर0 आदि सामान लूट कर ले गये थे जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगणों को वर्ष 1996 में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा होने के उपरान्त अभियुक्तगण फरार चल रहे थे जिसके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्या0 द्वारा अभियुक्तगणों के विरुद्ध एनबीडब्लू आदेश निर्गत किये गये थे।

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 449/1992 धारा 394,412,307 भादवि थाना साहिबाबाद।
2. मु0अ0सं0 457/1992 धारा 307 भा0द0वि0 थाना साहिबाबाद
3. मु0अ0सं0 458/1992 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना साहिबाबाद
4. मु0अ0सं0 722/1993 धारा 110 जी द0प्र0सं0, थाना साहिबाबाद
5. मु0अ0सं0 495/1996 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना साहिबाबाद
6. मु0अ0सं0 1386/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद।
7. मु0अ0सं0 1387/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद।
- 8.

बरामदगी का विवरण:-

- 11.01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
- 12.01 अदद तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

